बिहार विधान परिषद् सचिवालय

1.	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2018
2.	बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम
3.	बिहार सेवा संहिता
4.	बिहार कार्यपालिका नियमावली
5.	सचिवालय अनुदेश
6.	बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली
7.	बिहार वित्त नियमावली
8.	बिहार कोषागार संहिता
9.	ए.सी.पी. / एम.ए.सी.पी. योजना नियमावली
10.	बिहार पेंशन नियमावली
11.	बिहार यात्रा भत्ता नियमावली
12.	बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आदेश/अधिसूचना/संकल्प/पत्र/परिपत्र

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2018:

नियम 17 - नियंत्रण और अनुशासन :- सचिवालय के सभी पदाधिकारी सभापति के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

नियम 21 - वेतन एवं भत्ते - सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते वही होंगे, जो राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप पंक्ति अथवा समकक्ष पदों के कर्मचारियों को अनुमान्य है।

परन्तु यदि असैनिक सचिवालय के किसी ऐसे पद का वेतनमान् जो अनुसूची में उल्लिखित पदों की कोटियों के किसी पद के समरूप अथवा समकक्ष हो, सरकार द्वारा पुनरीक्षित किया जाय अथवा अन्य भत्तों में कोई परिवर्तन किया जाए तो ऐसा पुनरीक्षित वेतनमान् अथवा अन्य भत्ते इस सचिवालय की समरूप अथवा समकक्ष कोटि के पद के लिए भी लागू माना जाएगा ।

नियम 22 - सेवा की अन्य शर्तें :- पदाधिकारियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले जिन अन्य विषयों के संबंध में इस नियमावली में उपबंध विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, उन विषयों के संबंध में पदाधिकारीगण राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय की समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों पर लागू नियमों, आदेशों या निदेशों द्वारा शासित होंगे। परन्तु उनमें ऐसे रूपभेद, परिवर्तन या अपवाद किए जा सकेंगे जो सभापति वित्त विभाग से परामर्श करके, समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेंगे।

नियम 23 - शिथिलिकरण - सभापति किसी विशेष मामले में आवश्यक समझे जाने पर वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात् आदेश से किसी नियम की अपेक्षाओं को उस हद तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन अभिमुक्ति प्रदान या शिथिल कर सकेंगे।

नियम 24 - कारबार का संव्यवहार - सभापति इस नियमावली एवं इसके प्रयोजनार्थ अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के प्रशासन से पैदा होने वाली कठिनाईयों के मद्देनजर सुविधाजनक एवं कारगर कारबार के संव्यवहार के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपबंध कर सकेंगे।

नियम 25 - निर्वचन - इस नियमावली के निर्वचनों से संबंधित सभी प्रश्न सभापति को निर्देशित किए जाएंगे, जिसपर उनका निर्णय अंतिम होगा।

नियम 26 - अवशिष्ट शक्तियां - इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन, सभी विषय जो विनिर्दिष्टत: उपबंधित न हो, इस नियमावली में चाहे इस नियमावली के उपबंधों के आनुषंगिक या प्रासांगिक या अन्यथा हो, सभापति द्वारा समय-समय पर दिए गए ऐसे आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।